फ़ाइल सं. पी-13013/95/2023-यूडीआईडी / आईटी/सांख्यिकी

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)
दिव्यांगता प्रमाण पत्र / यूडीआईडी कार्ड के नवीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने और यूडीआईडी पोर्टल (www.swavlambancard.gov.in) के माध्यम से इस तरह के अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)
(16 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी)

1.2 यूडीआईडी परियोजना के बारे में:

"विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यूडीआईडी)" परियोजना का उद्देश्य सभी दिव्यांगजनों के लिए उनके सामाजिक-आर्थिक विवरण के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। यह परियोजना भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सिंगल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी "दिव्यांगजनं" को यूडीआईडी कार्ड जारी करने की सुविधा भी प्रदान करती है।

1.2. उद्देश्यः

इस मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का उद्देश्य यूडीआईडी पोर्टल पर अपने पीडब्ल्यूडी लॉगिन डैशबोर्ड का उपयोग करके दिव्यांगजनों द्वारा नवीनीकरण अनुरोध प्रस्तुत करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को स्पष्ट करना है।

1. 3. दिव्यांगजन द्वारा उठाये जाने वाले कदम

ऐसे दिव्यांगजन, जो पहले से ही विनिर्दिष्ट समयावधि की वैधता के साथ यूडीआईडी कार्ड/दिव्यांगता प्रमाण पत्र रखते हैं, वे अपने यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की वैधता समाप्ति से 9 माह पहले अथवा विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि, जैसा भी मामला हो, में यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। दिव्यांगजन के पास अपना नवीनीकरण अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित विकल्प होंगे:

आनन्द

क. वह उसी अस्पताल को चुन सकता है जहां से यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

ख. दिव्यांगजन के पते में बदलाव होने या दिव्यांगता के संबंध में उपचार अन्य अस्पताल में लिया जा रहा है, जैसा भी मामला हो, के कारण अन्य अस्पताल को चुन सकते हैं। ऐसे मामले में दिव्यांगजन को समय-समय पर विभाग द्वारा अपेक्षित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अपने अद्यतन आवासीय विवरण प्रस्तुत करने होंगे।

नीचे दिया गया आरेख दिव्यांगजन द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को दर्शाता है :

चरण-1

दिव्यांगजन डैशबोर्ड पर लॉगइन करें और टैब:

कार्ड नवीनीकृत करें या लागू विकल्प पर क्लिक करें

चरण-2

(i) मूल्यांकन के लिए उसी अस्पताल को चुनें

या

(ii) यदि उपचार करने वाला अस्पताल या आवासीय पता बदल गया हो, तो अन्य अस्पताल चुनें।

अनुरोध सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर, पावती रसीद डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है।

1.4. अस्पताल/चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा प्राधिकृत और दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड के नवीनीकरण का अनुरोध प्राप्त करने वाले अस्पतालों / चिकित्सा प्राधिकारी को दिव्यांगजनों के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करना होगा और दिव्यांगजनों का मूल्यांकन करने के लिए विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों, समय- समय पर यथा संशोधित, के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी करना होगा।

यदि दिव्यांग व्यक्ति पूर्व में यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारीकर्ता अस्पताल के अलावा किसी अन्य अस्पताल का चयन करता है तो दिव्यांगजन द्वारा चुने गए अस्पताल अथवा चिकित्सा प्राधिकारी के नाम और दिव्यांगजन द्वारा चुने गए और प्रस्तुत किए गए आवासीय पते के विवरण का नवीनीकृत यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर उल्लेख किया जाएगा।

आनन्द

यदि दिव्यांगजन द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत विवरण उचित नहीं है या उसके आवेदन में कोई कमी है तो चिकित्सा प्राधिकारी के पास आवेदन वापस लौटाने संबंधी टिप्पणियों के साथ दिव्यांगजन लॉगिन डैशबोर्ड पर आवेदन वापस करने का विकल्प होगा। दिव्यांगजन पुन: डैशबोर्ड पर लॉगिन कर सकता है और अपने वापस किए गए आवेदन को संपादित कर सकता है और दुबारा जमा कर सकता है।

नीचे दिया गया चित्र अनुरोध करने पर चिकित्सा प्राधिकरण या अस्पताल द्वारा उठाए गए कदमों को दर्शाता है:

चरण-1

(i) स्वीकार करें (आवेदन सत्यापित करें) या (ii) वापस लौटाने संबंधी अनुरोध (II) अनुरोध अस्वीकार करें

चरण 2

स्वीकृत या सत्यापित आवेदन को दिव्यांगता मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ और फिर मेडिकल बोर्ड को सौंपा जाएगा।

चरण-3

यदि आवेदन में कोई कमी है, तो चिकित्सा अधिकारी कमी संबंधी टिप्पणी के साथ आवेदन वापस करने का निर्णय ले सकते हैं। लौटाया गया आवेदन दिव्यांगजन डैशबोर्ड पर आएगा, जिसे दिव्यांगजन आवश्यक सुधार करने के बाद पुनः जमा कर सकते हैं।

चरण 4

जब व्यक्ति के मूल्यांकन के बाद चिकित्सा प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत निर्दिष्ट कोई दिव्यांगता उस व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है, तो नवीनीकरण के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

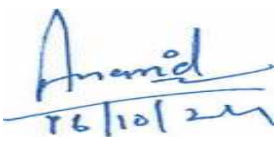

आनन्द

(आनंद)

अनुभाग अधिकारी

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग